ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

## अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मौसमी को मिला सहारा
(पृष्ठ – 02)

जीविका ने दी पिंकी के जीवन में नई रौशनी
(पृष्ठ – 03)

निराशा भरे जीवन में जीविका ने दी आशा की किरण
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

# एक नई राह

माह – अगस्त 2024 ।। अंक – 37

## ग्राम संगठन की सहभागिता से सतत् जीविकोपार्जन योजना का सफल क्रियान्वयन

सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों के चयन, जीविकोपार्जन गतिविधियों की शुरुआत एवं उसके संचालन में जीविका के ग्राम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीविका ग्राम संगठनों के माध्यम से सतत् जीविकोपार्जन योजना के उद्देश्यों के बारे में सामुदायिक सदस्यों को जागरूक किया जाता है। लाभार्थियों के चयन के दौरान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन एवं सामाजिक मानचित्रण में भी ग्राम संगठनों का अपेक्षित सहयोग रहता है।

ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संसाधन कर्मियों के सहयोग से अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाता है। चिह्नित अत्यंत गरीब परिवारों की सूची को अनुमोदन के लिए ग्राम संगठन की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। सूची में चिह्नित अत्यंत गरीब परिवारों का आकलन ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। योजना में चयन हेतु योग्य नहीं पाए जाने वाले परिवार का अनुमोदन नहीं करने का निर्णय भी ग्राम संगठन के सदस्यों द्वारा सामुहिक रूप से लिया जाता है। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाता है कि किसी अत्यंत गरीब परिवार का नाम इस सूची में छूटा तो नहीं है। अगर किसी अत्यंत गरीब परिवार का नाम छूटा रहता है तो ग्राम संगठन के सदस्यों के द्वारा सामुहिक रूप से उसका नाम लाभूकों की अंतिम सूची में जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। इस स्थिति में ग्राम संगठन द्वारा प्रस्तावित परिवार का सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थी चयन के मापदंड के अनुसार सत्यापन किया जाता है। ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन के उपरांत सामुदायिक साधन सेवियों द्वारा चिह्नित अत्यंत गरीब परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित अत्यंत गरीब परिवार की सूची को प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा अंतिम लाभूक सूची माना जाता है। तदुपरांत लाभूकों का विवरणी एम॰आई॰एस॰ में प्रविष्टि कराई जाती है।

सभी चयनित लाभार्थियों का मास्टर संसाधन सेवी (एम॰आर॰पी॰) द्वारा सूक्ष्म नियोजन किया जाता है, जिसका अनुमोदन ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। ग्राम संगठन के अनुमोदन के उपरांत प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तर पर ऋण समिति की बैठक में अनुशंसा के आधार पर जिला परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा प्रत्येक चयनित लाभार्थी के लिए विशेष निवेश निधि, जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं जीविकोपार्जन अंतराल निधि की राशि ग्राम संगठन के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाती है। ग्राम संगठन के बैंक खाता में पैसा आने के बाद विशेष निवेश निधि की राशि चयनित परिवार को हस्तांतरित की जाती है, जिससे वे सूक्ष्म उद्यम की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण कर सके। इसके अलावा ग्राम संगठन की खरीदारी समिति के सदस्यों के द्वारा सूक्ष्म उद्यम या व्यवसाय हेतु सामग्रियों की खरीदारी कर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है एवं इसे लाभार्थी परिवारों को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार ग्राम संगठन के सहयोग एवं निगरानी में लाभार्थी परिवारों द्वारा स्वरोजगार की शुरुआत की जाती है। उद्यम की शुरुआत करने के उपरांत अगले 7 महीने तक जीविकोपार्जन सहायता निधि के तहत लाभार्थी परिवारों को एक–एक हजार रुपये की निधि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रत्येक लाभुक के सूक्ष्म उद्यम की स्थापना हेतु किए गए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसंशित करके ग्राम संगठन द्वारा प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा कराया जाता है। ग्राम संगठन द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी लाभुकों को उनके सूक्ष्म उद्यम के सफल संचालन हेतु निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। ग्राम संगठन के सामाजिक कार्य समिति के सदस्यों द्वारा 15 दिन के अंतराल पर लाभार्थियों के उद्यम का भ्रमण भी किया जाता है।

# सुनिता देवी के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव

सुनीता देवी समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर सदर प्रखंड अंतर्गत सिंधियाखुर्द गाँव की रहने वाली है। कई साल पूर्व इनके पति से इनका तलाक हो गया था। उनका एक बेटा है। तलाक के बाद वह अपने बेटे के साथ अपने मायके में जाकर रहने लगी। वह मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपना और अपने बेटे का भरण–पोषण कर रही थी।

इस बीच वर्ष 2020 में ग्राम संगठन के माध्यम से उनके गाँव में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लाभार्थी चयन हेतु ड्राइव चलाया गया। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। चयन के उपरांत इनका क्षमतावर्धन किया गया तथा उन्हें व्यवसाय संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें जीविकोपार्जन के विभिन्न तरीके एवं राशि का अच्छी तरह से सदुपयोग करना सिखाया गया।

योजना के अंतर्गत सूक्ष्म नियोजन के दौरान उन्होंने किराना दुकान खोलने की ईच्छा जताई, जिसका अनुमोदन ग्राम संगठन के द्वारा किया गया। तदुपरान्त सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे इन्होंने दुकान संचालन हेतु गुमटी खरीदा। इसके बाद ग्राम संगठन द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये में किराना दुकान हेतु सामग्रियाँ खरीदकर दी गई। शुरुआत में सात माह तक जीविकोपार्जन अंतराल निधि के रुप में प्रत्येक माह उन्हें 1000 रुपये प्रदान किया गया। गुमटी में वह किराना सामान बेचने लगी। समय के साथ दुकान में बिक्री बढ़ने की लगी, इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। दुकान से होने वाली आय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है। अब वह अपने बेटा को पढ़ाने–लिखाने लगी है।

सुनीता दीदी कहती हैं, सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लाभ मिलने से मुझे नई जिंदगी मिली है। योजना की सहायता से मैंने दुकान शुरू किया है और इससे होने वाली आमदनी से मेरे जीवन में बदलाव आया है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिती में अब सुधार हो रहा है।'

# सतत् जीविकोपार्जन योजना से मौसमी को मिला सहारा

अरवल जिला के सोनभद्र बंशी सूर्यपुर प्रखण्ड अंतर्गत खटाँगी पंचायत के गोनपुरा गाँव की रहने वाली मौसमी देवी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पति राकेश सिंह की असमय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मौसमी देवी की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई। ठीक से दोनों वक्त का भोजन भीं नही मिल पाता था। वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का भरण–पोषण करती थी। घर चलाने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। उनकी स्थिति धीरे–धीरे बहुत खराब होती जा रही थी। बीमार पड़ने पर इलाज भी सही से नहीं हो पाता था। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी।

इस बीच वर्ष 2019 में कंगन जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा मौसमी देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया। चयन के उपरांत उनका सूक्ष्म नियोजन किया गया। उन्होंने श्रृंगार दुकान चलाने के लिए ईच्छा जताई। सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए मौसमी देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि की पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये की परिसंपत्ति उपलब्ध कराई गई, जिससे इन्होंने श्रृंगार दुकान की शुरुआत की।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतगर्त उनके क्षेत्र में कार्यरत मास्टर संसाधान सेवी का निरंतर सहयोग मिला। इससे उन्होंने दुकान चलाना शुरू कर दिया। समय के साथ दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और अच्छी कमाई होने लगी। दुकान की आय से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और कपड़े की सिलाई करने लगी। श्रृंगार दुकान एवं कपड़ों की सिलाई की होने वाली आय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उनके परिवार का जीवन स्तर अब पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। वह परिवार की जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हुई है। अब उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। अब उनके बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं।

# जीविका ने दी पिंकी के जीवन में नई रोशनी

पिंकी देवी मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत रुपौली पंचायत के काटी गाँव की रहने वाली है। इनकी स्थिति पहले बेहद खराब थी। ऐसे में इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। इस योजना की वजह से अब इन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी।

दरअसल कुछ वर्ष पूर्व पिंकी देवी के पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के उपरांत इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इनके दो बच्चे हैं, जिनका भरण– पोषण करना दुश्वार हो गया था। परिवार से किसी भी प्रकार का साथ एवं सहयोग नहीं मिलता था, वह मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करती थी।

पिंकी की दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया। चयन के उपरांत इनका क्षमतावर्धन किया गया। इन्होंने बकरी पालन करने की इच्छा जताई। तदुपरांत इन्हें ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 16,000 रुपये में चार बकरियाँ खरीदकर दी गईं। साथ ही विशेष निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये एवं जीविकोपार्जन अंतराल सहायता निधि के तहत सात माह तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये प्रदान किये गये।

योजना की सहायता से इन्होंने बकरी पालन का कार्य प्रारंभ किया। समय के साथ बकरियों की संख्या बढ़ी और पाठा–पाठी बेचकर उन्हें अच्छी आमदनी हुई। बकरी पालन के साथ–साथ वह बटाई पर जमीन लेकर खेती भी करने लगी। इसके अलावा सिलाई मशीन खरीदकर वह कपड़ों की सिलाई का काम भी करती है। वर्तमान में इनके पास कुल 32,000 रुपये की परिसंपत्ति है। उनकी मासिक आमदनी लगभग 8000 रुपये हो गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने से दीदी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है। वह चाहती है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़े।

दीदी को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। इस प्रकार जीविका की वजह से पिंकी देवी के जीवन में नई रौशनी आई है।

# सतत् जीविकोपार्जन योजना से जीवन में सुधार

मधेपुरा जिला के अरहा ग्राम एवं मानिकपुर पंचायत की बीबी सैरून खातून ने अति निर्धनता से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। वह पहले अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन–यापन कर रही थी। उनके पास रहने योग्य जमीन के अतरिक्त कुछ भी नहीं था। उनकी शादी वर्ष 1992 में हुई थी। तब उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी। इन्हें 5 बच्चे हैं– 3 लड़की और 2 लड़का। सैरून खातून के पति दिव्यांग है। इस कारण वह ठीक तरह से मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप सैरून खातून को अपने परिवार के पालन–पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही थी।

वर्ष 2022 में सैरून खातून का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षित करते हुए उनका क्षमतावर्धन किया गया। तदुपरांत मास्टर रिसोर्स पर्सन के द्वारा सूक्ष्म नियोजन किया गया, जिसके आधार पर इन्होंने अपनी इच्छानुसार किराना दुकान शुरू करने का फैसला किया। जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़ने हेतु उन्हें ग्राम संगठन के माध्यम से योजना के तहत 10,000 रुपये विशेष निवेश निधि और 20,000 रुपये जीविकोपार्जन निवेश निधि से किराना दुकान के सामग्री की खरीदारी कराके उपलब्ध कराई गई जिससे इन्होंने किराना दुकान शुरू किया। वहीं जीविकोपार्जन सहायता अंतराल निधि के तहत अगले सात माह तक इन्हें एक–एक हजार रुपये दिए गए।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत कार्यरत मास्टर रिसोर्स पर्सन के सहयोग से सैरून खातून ने दुकान चलाना अच्छी तरह सीख लिया है। अब वह किराना दुकान को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। किराना दुकान के साथ–साथ वह सब्जी एवं मसाला की भी बिक्री करती है। इससे भी उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। वह बताती है कि प्रतिमाह उन्हें औसतन 7,500 से 8,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। दुकान की आय से सैरून खातून ने एक बकरी खरीदी है। अब वह किराना दुकान, सब्जी दुकान एवं बकरी पालन का कार्य भी कर रही है। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है। सैरून खातून अब अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रही है। वहीं उनका बड़ा लड़का अब उनके कामों में हाथ बंटाता है। उनका परिवार अब खुशहाल जीवन व्यतित कर रहा है।

# निराशा भरे जीवन में जीविका ने दी आशा की किरण

किरण देवी पटना जिला के दानापुर प्रखंड की रहने वाली है। उनकी शादी 20 वर्ष पूर्व हथियाकाँध के उसरी गाँव निवासी रणजीत चौधरी के साथ हुई थी। शादी के पहले से ही उनके पति मजदूरी करते थे जिससे उनके परिवार का भरण–पोषण हो रहा था। धीरे–धीरे समय बीतता गया। इस बीच उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया। वह अपनी बेटियों का अच्छी तरह परवरिश कर रही थी।

करीब 7 वर्ष पहले किरण दीदी के पति रोज की भाँति राज मिस्त्री के साथ मजदूरी करने गए थे। शाम को काम खत्म करने के बाद पैदल ही घर लौट रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत से किरण देवी पर विपत्ति आ गयी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई। सारी जिम्मेदारी एकाएक दीदी के कंधों पर आ गयी। पति के गुजरने के बाद किरण देवी की तबियत भी खराब रहने लगी थी। उनका घर पूरी तरह उजड़ चुका था।

इसी बीच अगस्त 2020 में किरण देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयन किया गया। इसके बाद उनका क्षमतावर्धन किया गया। इससे उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा। किरण दीदी ने सब्जी की दुकान करने की इच्छा जताई। इसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये एवं जीविकोर्पान निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये की परिसंपत्ति उपलब्ध करायी गयी, जिससे उन्होंने सब्जी दुकान की शुरूआत की। किरण देवी अब अपनी दुकान अच्छी तरह चला रही है। दुकान से वह प्रत्येक माह 8 से 10 हजार रुपये की आय अर्जित कर लेती है। इससे वह न केवल अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह कर रही है बल्कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा भी दिनवा रही है।

किरण दीदी पहले अपने परिवार को दो वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाती थी। वह अपनी बेटियों को न तो अच्छी तरह पढ़ा–लिखा पा रही थी और न ही घर की जरूरतों की पूर्ति कर पा रही थी। लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद किरण दीदी के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है।

जीविका की मदद से इन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। पति की मौत के बाद उनका जीवन बेहद घोर निराशा में घिर गया था। लेकिन अब उनके जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार